न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 51/2012 G.C.M.S. No. 2012/00031 दर्ज दिनांक : 06.11.2012

अपीलार्थिगण:

1. दरिया कंवर बेवा नारायण सिंह, जाति राजपुत निवासी भेव, तहसील शिवगंज
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र नारायण सिंह, जाति राजपुत निवासी भेव, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही
3. मुमल कंवर बेवा उम्मेद सिंह, जाति राजपुत निवासी भेव, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही
4. इन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, जाति राजपुत निवासी भेव, अवयस्क जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती मुमल कंवर अपीलांट संख्या 03
5. गोविन्द सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपुत निवासी भेव, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही
6. राधा कंवर पुत्री नारायण सिंह जाति राजपुत निवासी भेव, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र छगन सिंह जाति राजपुत निवासी, जाति राव, निवासी भेव, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही
2. बृजराज सिंह पुत्र स्वरूप सिंह, जाति राजपुत, निवासी भेव, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2012 अनवान गजेन्द्र सिंह बनाम बृजराज सिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2012 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम

पैरोकार:–

1. श्री कलीम अव्वल, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स।
2. श्री नरपत सिंह देवड़ा विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 01।

निर्णय

दिनांक: 27.01.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2012 अनवान गजेन्द्र सिंह बनाम बृजराज सिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2012 आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश दिनांक 18.07.2012 पारित करने में विधि के सिद्धांतो की पूर्ण अवहेलना व अनदेखी कर आलोच्य आदेश पारित

Scanned with OKEN Scanner

किया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी स्तर पर सही रूप से तनकियात वार निर्णय नहीं कर बिना किसी आधार के तथा केवल मात्र कमिश्नर रिपोर्ट को आधार बनाकर वादी की ओर से कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद वादी का वाद स्वीकार करने में भारी कानूनी व वाकयाती भूल कारित की है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्टतः प्रतिवादी/अपीलांट मौके पर शान्तिपूर्ण रूप से वर्षों से काबिज है तथा फोटो अनुसार वहां पुराने पेड़ आदि होना भी साबित है, जिसका वादी की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर विरोध नहीं किया गया हैं, तथा न ही कोई शहादत पेश की गयी है, जिस बाबत दस्तावेजी साक्ष्य को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में गौर नहीं कर केवल मात्र कमिश्नर रिपोर्ट को आधार बनाकर मनमाने तरीके से अपीलांट की सुनवायी किये बगैर केवल मात्र कयास के आधार पर उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित किया है। कानूनन कमिश्नर रिपोर्ट को साक्ष्य का आधार नहीं बनाया जा सकता। प्रतिवादी संख्या 2/2 उम्मेद सिंह निर्णय से पूर्व ही मर चुका था, जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय एवं वादी रेस्पोडेन्ट को थी, जिससे वादी का वाद एबेट हो चुका था। विवादित राजस्व आराजी पर प्रतिवादी/अपीलांट का कब्जा काश्त शातिपूर्ण व निर्बाध रूप से अपने बाप दादाओ के समय से लगातार चला आ रहा है, एवं उसमें कभी भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप वादी अथवा किसी के भी द्वारा नहीं किया गया है, जिससे वादी का वाद म्याद बाहर था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/ अपीलांट का मामला नहीं मानने एवं वादी का वादी डिक्री करने में भारी कानूनी त्रुटि कारित की है। अपीलांट गोविन्द सिंह अपने परिवार में अकेला उपरोक्त मुकदमें की पैरवी करने वाला था, तथा अधिवक्ता से सम्पर्क कर मुकदमें के बारे में राय करने वाला था, उसके अलावा अपीलांट अवयस्क तथा पर्दानशीन औरते है जिससे अन्य अपीलांट गोविन्द सिंह काफी समय से मलेरिया ग्रसित है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मूकदमे के बारे में अपीलांट का उसके अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं रहा, तथा जिससे उसे उपरोक्त बीमारी के कारण प्रकरण के फैसले की अपील करने में देरी को कन्डोन करने के मयाद हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर वादी का वाद खारिज किया जाना फरमावे।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत प्रतिवादी को बेदखल करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2012 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 08.10.2012 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलांट गोविन्द सिंह काफी समय से मलेरिया ग्रसित है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मूकदमे के बारे में अपीलांट का उसके अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं रहा, अपील प्रस्तुत करने में हुयी सद्भाविक देरी को न्यायहित में कन्डोन किया जाना आवश्यक है। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा विलंब अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता के कारण कारित नहीं हुआ है तथा प्रकरण का निस्तारण कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः विलंबकाल युक्तियुक्त व सद्भाविक होने से अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 02 एवं अपीलांट के पूर्वज नारायण सिंह के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में वादपत्र बाबत् बेदखली एवं कब्जा प्राप्ति एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा व जवाबदावा के आधार पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य उपरान्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र स्वीकार किया गया।

4. अपीलांट द्वारा यह उज्र लिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयातवार निर्णय नहीं कर कमिश्नर रिपोर्ट को आधार बनाकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो पर गौर नहीं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनन भूल की है, के सबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से हमारे विनम्र मत में विवाधक कायम कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया, तथा न्यायालय आदेश कमिश्नर नियुक्त किया गया। नायब तहसीलदार शिवगंज द्वारा मौके पर वादग्रस्त आराजीयात नाप चौक करते हुये रिकॉर्ड व मौके के आधार पर विस्तृत मौका रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो साक्ष्य में विधिवत प्रदर्श की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विवाद्यक वार विस्तृत विवेचन करते हुए विवाद्यक वार निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय केवल कमिश्नर रिपोर्ट पर आधारित नहीं होकर प्रस्तुत समस्त साक्ष्य के विस्तृत विवेचन पर आधारित है। अतः इस संबंध में अपीलांट का उज्र स्वीकार योग्य नहीं है।

5. अपीलांट द्वारा यह भी उज्र लिया गया है कि निर्णय व डिक्री से पूर्व प्रतिवादी संख्या 2/2 उम्मेद सिंह की मृत्यु हो चुकी थी, जिससे वाद एबेट हो चुका था के सम्बंध में हमारा विनम्र है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.12.2011 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रतिवादी संख्या 2/2 के कायम मुकाम रेकर्ड पर लाने की अनुमति दी गयी तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 2/2 के वारिसान की ओर से अधिवक्ता मदन सिंह राव द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में प्रतिवादी संख्या 2/2 के कायम मुकाम अंकित है अतः स्पष्ट है कि मृतक के विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय व डिक्री के विरूद्ध निर्णय पारित नहीं किया गया। अतः इस संबंध में अपीलांट का उज स्वीकार योग्य नहीं है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की त्रुटि साबित नहीं होने, अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2012 अनवान गजेन्द्र सिंह बनाम बृजराज सिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2012 वगैरह की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली